उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–1413 / ग्यारह–9(114) / 12–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(47)–2017

दिनांक: 27 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश सरकार, द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र के सापेक्ष निम्नलिखित अवधि के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ड्यूटी पेड) अथवा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (बाण्डेड) के विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर का उद्ग्रहण नहीं किया जायेगा:–

(एक) उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के प्रस्तर 7.1 के उपबन्धों के अनुसार उत्तर प्रदेश के नान–आरसीएस हवाई अड्डों को उत्तर प्रदेश के भीतर अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर के नान–आरसीएस हवाई अड्डों के साथ जोडने वाली एवं तारीख 01 अप्रैल, 2017 के पश्चात् प्रारम्भ होने वाली समस्त नयी उड़ानों के प्रचालन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए ;

(दो) उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के प्रस्तर 8.5.2 के उपबन्धों के अनुसार भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के अधीन उत्तर प्रदेश के किसी आरसीएस हवाई अड्डे से प्रारम्भ होने वाली अथवा वहॉं पर समाप्त होने वाली एवं तारीख 01 अप्रैल, 2017 के पश्चात् प्रारम्भ होने वाली समस्त उड़ानों के संचालन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
SANSTHAGAT VITTA, KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. KA.NI.-2-1413/XI-9(114)/12-U.P.Act.-5-2008-Order-(47)-2017 dated September 27, 2017:

NOTIFICATION

No.- KA.NI.-2-1413/XI-9(114)/12-U.P.Act.-5-2008-Order-(47)-2017
Lucknow::Dated:: September 27, 2017

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers under clause (c) of section 7 read with section 74 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P.Act no. 5 of 2008), the Governor is pleased to direct that no tax shall be levied under the said Act on turnover of sale of Aviation Turbine Fuel (Duty paid) or Aviation Turbine Fuel (Bonded), to the following, against eligibility certificate issued by the Director Civil Aviation, Government of Uttar Pradesh :-

(i) for the period of one year from the date of operation as per provisions of para 7.1 of Civil Aviation Promotion Policy of Uttar Pradesh, 2017- on all new flights connecting a non-RCS Airport in Uttar Pradesh to non-RCS Airports in Uttar Pradesh or outside Uttar Pradesh, commencing after 1st April, 2017;

(ii) for the period of ten years from the date of operation as per provisions of para 8.5.2 of Civil Aviation Promotion Policy of Uttar Pradesh, 2017- on all flights originating from or terminating at an RCS Airport in Uttar Pradesh under the Regional Connectivity Scheme (RCS) of Government of India, commencing after 1st April, 2017.

By order,

(Rajendra Kumar Tiwari)
Apar Mukhya Sachiv.